पाँचवां अध्याय- वाहनों पर कर

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है	इस अध्याय में हमने परिवहन विभाग में ₹ 3.34 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जिसे हमने अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया। हमने परिवहन विभाग में शासकीय राजस्व का गबन, व्यवसायियों पर ट्रेड फीस का अनारोपण/कम आरोपण एवं मालयान एवं यात्रीयान के स्वामियों से कर एवं शास्ति की अवसूली, से संबंधित बहुत से उदाहरण पाया है।
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	यद्यपि वास्तविक प्राप्तियाँ में 2008-09 में 0.55 प्रतिशत तथा 2012-13 में 2.30 प्रतिशत गिरावट थी लेकिन वही 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में इनमें क्रमशः 0.12 प्रतिशत, 4.27 प्रतिशत एवं 5.72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।
आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाना	वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग 16 ईकाईयाँ आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु चयनित की गयी जिसमें से केवल चार ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई।
लेखापरीक्षा का प्रभाव	हमने वर्ष 2012-13 में परिवहन विभाग से संबंधित 20 में से छह ईकाईयों की अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं 1,255 प्रकरणों में ₹ 9.14 करोड़ के वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण, व्यापार कर एवं व्यापार फीस के कम आरोपण से राजस्व हानि का पता लगाया। विभाग ने 861 प्रकरणों में ₹ 4.93 करोड़ के वाहनो पर कर का अनारोपण, राजस्व हानि एवं अन्य अनियमित्ताओं को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को अपने आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रणाली में व्याप्त कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लायी गयी कमियों का भविष्य में टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित किये गये कर की अवसूली, कम आरोपण इत्यादि को वसूल करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, विशेष रूप से उन प्रकरणों में, जिनमें हमारे विचारो को मान्य किया गया है।

5.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रहणाकर्ता विभागों में से एक है। राज्य मे वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण निम्नलिखित नियमों के अधीन किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988(मो. या. अधिनियम)
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (के.मो.या. नियम)
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम (छ.ग.मो.या.क.अ.) 1991 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम एवं
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994

व्यापार कर के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, अन्य फीस जैसे पंजीयन फीस, फिटनेस फीस और अनुज्ञा फीस, मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार आरोपणीय है। समय पर करों के भुगतान न हाने की स्थिति में निर्धारित दर से शास्ति और ब्याज भी आरोपणीय है। गैर परिवहन यानों[1] के प्रकरण में कर की प्राप्ति जीवनकाल कर के रूप में एकमुश्त और परिवहन यानों के प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानानुसार मासिक/त्रैमासिक रूप में किया जाता है।

मोटरयानों पर कर के उदग्रहण का प्रशासन, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता है जिन्हे मुख्यालय स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक अति प.आ. एक संयुक्त प.आ. एक सहायक प.आ. एवं एक उप संचालक (वित्त) होते है। इसके अतिरिक्त चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे. प. अ.) दो अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अति. क्षे. प. अ.) दस जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते है। इसके अतिरिक्त पंद्रह चेक पोस्ट एवं दो उप चेक पोस्ट संबंधित क्षे. प. अ./अति. क्षे. प. अ./जि. प. अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में रहते है।

5.2 बजट तैयारियों का विश्लेषण

विभाग की बजट फाइल का अवलोकन किया गया और यह संज्ञान में आया कि प्राकलन बनाते समय विभाग द्वारा वित्त विभाग निर्धारित किए गए प्रक्रिया का पालन किया गया।

बजट अनुमान तैयार करते समय सभी कारक जैसे पिछले वर्ष के दौरान राजस्व की वास्तविक संग्रह, संदर्भित पिछले साल की प्राप्ति के साथ चालू वर्ष विकास दर की तुलना और विभाग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों ध्यान में रखा गया।

5.3 वाहनों पर कर से प्राप्त राजस्व रूझान

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ उस अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है :

[1] गैर परिवहन यान- लोक सेवा, माल यान, शैक्षणिक संस्थान बस अथवा निजि सेवा यान को छोड़कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर कमी (-) अधिक (+)	अंतर का प्रतिशत (कॉलम 2 से 3)	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	315.50	313.78	(-) 1.72	(-) 0.55	6,593.72	4.76
2009-10	351.47	351.88	(+) 0.41	(+) 0.12	7,123.25	4.94
2010-11	410.00	427.52	(+) 17.52	(+) 4.27	9,005.14	4.75
2011-12	475.00	502.18	(+) 27.18	(+) 5.72	10,712.25	4.69
2012-13	605.71	591.75	(-)13.96	(-) 2.30	13,034.21	4.54

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरिलिखित तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व संग्रहण 2008-09 में ₹ 313.78 करोड़ से 2012-13 में ₹ 591.75 करोड़ बढ़ गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में वाहनों पर कर के संग्रहण में 17.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा इस वृद्धि का कारण नई वाहनों के पंजीयन में वृद्धि होने को दिया। बजट अनुमान एवं वास्तविक के प्रतिशत में 2008-09 से 2012-13 के बीच 0.12 से 5.72 प्रतिशत के मध्य अंतर था जो यह प्रदर्शित करता है कि बजट अनुमान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया था।

5.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 14.99 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 41 लाख का बकाया पाँच वर्षो से अधिक समय से था। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के बकाया राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

(₹करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	बकायों का अंतशेष
2008-09	3.92	4.01
2009-10	4.01	8.57
2010-11	8.57	14.65
2011-12	14.65	9.50
2012-13	9.50	14.99

(स्रोतः परिवहन विभाग द्वारा दिये गये आंकड़ें)

5.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण जो कानूनी, नियमों और विभागीय निर्देश के समुचित प्रवर्तन के उचित आश्वासन प्रदान करते है एवं जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम में मदद करते है आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन को निर्धारित प्रणालियों के अनुपालन को आश्वस्त करने के लिए सक्षम बनाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यालय परिवहन आयुक्त में संबंध है जिसका प्रमुख उप संचालक (वित्त) है कुल स्विकृत चार पद (दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक और दो कनिष्ठ

लेखापरीक्षक) के विरूद्ध मात्र दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत थे और वर्ष 2012-13 में कुल चयनित 16 इकाईयों में से चार इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

हम सुझाव देते है कि विभाग नियमित रूप से लेखा परीक्षा करने के लिए अतिरिक्त मानव क्षमता को नियुक्त करें।

5.6 संग्रहण की लागत

सकल संग्रहण पर व्यय के संसगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान यान पर कर का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं पूर्व वर्षो के सकल संग्रहण पर किए गए व्यय निम्न तालिका में दर्शाए गए है :

(₹करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	427.52	7.93	1.85	3.07
2011-12	502.18	10.00	1.99	3.71
2012-13	591.75	10.73	1.81	2.96

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संग्रहण की लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम ही था, जिसकी सराहना की जाती है।

5.7 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति (2007-08 से 2011-12) वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹ 34.32 करोड़ की कर और शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण, से संबंधित प्रकरण इंगित किये थे। विभाग ने इनमें से ₹ 19.24 करोड़ के आपत्तियाँ स्वीकार कर ₹ 2.62 करोड़ की वसूली (मार्च 2013 तक) की, जो निम्न तालिका में दर्शित है :

(₹करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवदेन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2012 तक वसूल की राशि
2007-08	6.69	3.58	1.05
2008-09	3.48	0.37	0.37
2009-10	5.96	5.85	0.63
2010-11	0.30	0.27	0.08
2011-12	17.89	9.17	0.49
योग	**34.32**	**19.24**	**2.62**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायें गये स्वीकार्य प्रकरणों में विभाग द्वारा केवल 13.62 प्रतिशत की वसूली की है।

5.7.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (2007-08 से 2011-12) :

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों के माध्यम से कर और शास्ति की अवसूली, कर का अनारोपण और व्यापार कर एवं फीस के कम आरोपण के ₹ 58.30 करोड़ के 6,569 प्रकरणों को इंगित किया था, जिसमें से शासन ने ₹ 32.53 करोड़ के 4,737 प्रकरणों को मान्य किया। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		मार्च 2013 तक वसूल की राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	7	1,686	14.18	1,051	7.61	निरंक	निरंक
2008-09	8	1,758	11.89	746	3.89	निरंक	निरंक
2009-10	11	345	6.85	344	0.89	49	0.04
2010-11	3	357	3.25	314	1.08	निरंक	निरंक
2011-12	9	2,423	22.13	2,282	19.06	निरंक	निरंक
योग		**6,569**	**58.30**	**4,737**	**32.53**	**49**	**0.04**

5.7.3 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

हमने परिवहन विभाग के 16 में से नौ ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में वर्ष 2011-12 के दौरान मोटरयान कर एवं शास्ति की अ/कम वसूली, कर का अनारोपण एवं राजस्व की हानि, व्यापार कर एवं शुल्क का कम आरोपण राशि ₹ 9.14 करोड़ के 1,255 प्रकरणों इंगित किये गये, जिन्हे मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	व्यापार कर की कम वसूली	356	4.80
2.	कर एवं शास्ति की अवसूली	778	2.99
3.	अन्य अनियमितताएं	121	1.35
योग		**1,255**	**9.14**

2012-13 के दौरान विभाग ने 861 प्रकरणों में ₹ 4.93 करोड़ के व्यापार कर का कम आरोपण, वाहनों पर कर एवं शास्ति के अनारोपण, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया।

सात परिवहन कार्यालयों में व्यापार कर की कम वसूली के एक प्रकरण में विभाग ने ₹ 59.04 लाख की वसूली की।

₹ 3.34 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे कंडिकाओं में इंगित है।

5.8 लेखापरीक्षा टिप्पणी

कई परिवहन कार्यालयों[2] के अभिलेखों की जाँच में अधिनियम/नियम/शासकीय नोटिफिकेशन/निर्देश के पालन न होने से कर के अनारोपण/कम आरोपण के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित है। ये उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं हमारे द्वारा किये गये नमुना जाँच पर आधारित है। जो विभागीय कार्यवाही में कमियों को दर्शाता है लेकिन अनियमितताएँ न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा के होने तक संज्ञान में नहीं आती। अतः विभाग को इस प्रकार की अनियमितता का दोहराव न होने देने के लिए नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने की आवश्यकता है।

5.9 शासकीय राजस्व का गबन

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के भाग एक के अध्याय दो के नियम 3 के अनुसार कोई भी शासकीय धन, जो किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा शासन को देय है या शासन की तरफ से देय है को लेखा में अविलंब लेने चाहिए एवं बिना विलंब के शासकीय कोषालय या बैंक में (जैसा भी प्रकरण हो) जमा करना चाहिए। आगे मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 12 के अनुसार संबंधित अधिकारी शासकीय धन के दुर्विनियोजन, अनियमितता एवं दुरूपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर के डिमाण्ड ड्राफ्ट अभिलेखों की सूक्ष्म परीक्षण (सितम्बर 2012) में हमने पाया कि माह अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुभाग ने 10 वाहन स्वामियों से ₹ 1.31 लाख के छह डिमाण्ड ड्राफ्ट 22 मालयानों के कर अदायगी संदर्भ में स्वीकार किए और उन्हे डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिसटर में इंद्राज किया। डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुभाग ने माल यान शाखा को इन वाहनों के कर के संबंध में डिमाण्ड ड्राफ्ट लेने बाबत सूचना दी। तदनुसार माँग एवं वसूली पंजी में कर के संदाय होने की सूचना दर्ज की गयी तथापि इन डिमाण्ड ड्राफ्ट को जारी कर्ता बैंक से प्रति सत्यापन से हमे पता चला उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट वाहन स्वामियों द्वारा 21 जुलाई 2012 को निरस्त करा लिये गये थे। एक साल तीन माह बाद डिमाण्ड ड्राफ्ट को निरस्त कराने से स्पष्ट है कि इन बैंक ड्राफ्टों को क्षे. प. अधिकारी रायपुर द्वारा समाशोधन हेतु बैंक में जमा नहीं किया गया था परन्तु इन्हें वाहन स्वामियों को वापस कर दिया गया था। डिमाण्ड ड्राफ्ट और बैंक रिकार्ड में निर्यक जाँच से संबंधित ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि इन डिमाण्ड ड्राफ्टों को बैंक में जमा किया गया है एवं लेखे मे लिया गया है। विभाग में भी यह जाँच करने के लिए कि प्राप्त किए सभी डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंक में समाशोधन हेतु भेज दिये गए है, कोई प्रणाली अंगीकृत नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.31 लाख के शासकीय राजस्व का गबन हुआ।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मई 2013)। बैठक के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि प्रकरण में शामिल राशि मय

---

2 क्षे.प.का. अम्बिकापुर, जगदलपुर एवं रायपुर अति क्षे. प. का दुर्ग एवं राजनांदगाँव एवं जि.प.का. कवर्धा।

शास्ति के वसूल की जा चुकी है एवं एक जाँच समिति उप संचालक (वित्त) के पर्यवेक्षण में गठित की जा चुकी है।

5.10 व्यवसायियों से व्यापार फीस की कम/अवसूली

तीन[3] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, दो[4] अति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों एवं एक[5] जिला परिवहन अधिकारी के पंजीयन अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2007 से मार्च 2012) में हमने पाया कि 2007-08 से 2011-12 के बीच 1,68,288 मोटर साइकल/मोपेड एवं 38,700 अन्य वाहन पंजीकृत किए गए। नियमानुसार इन वाहनों से ₹ 1.62 करोड़ व्यापार फीस वसूलनीय थी। इसके विपरीत दो[6] क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ. द्वारा केवल ₹ 1.11 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया। बाकी चार[7] परिवहन अधिकारियों द्वारा कोई व्यापार फीस न तो आरोपित और न ही वसूल किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़[8] की ट्रेड फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ। **(परिशिष्ट 5.1 में दर्शित)**

> केंद्रीय मोटर यान नियम के नियम 34 (1) के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र के नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन के साथ नियम 81 में वर्णित फीस भी संलग्न होनी चाहिए।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मई 2013)। बैठक के दौरान शासन ने कहा (जुलाई 2013 एवं सितम्बर 2013) कि क्षे.प.अ./जि.प.अ. को माँग पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी किए गये है एवं ₹ 35.66 लाख की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

यही प्रकरण लेखा परीक्षा द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका क्र 5.9 में भी उठाया गया था। विभाग ने कंडिका क्र 5.9 में हमारे द्वारा उठाए गए ₹ 4.43 करोड़ में से ₹ 9.37 लाख वसूल कर लिए है।

अब 1 फरवरी 2012 से आगे विभाग व्यापार फीस की वसूली प्रति वाहन के हिसाब से कर रहा है। पूर्ववर्ती वर्षो के व्यापार फीस के कम/अनारोपण हेतु व्यवसायियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे है।

---

3 अम्बिकापुर, जगदलपुर एवं रायपुर

4 दुर्ग एवं राजनांदगाँव

5 कांकेर

6 अम्बिकापुर एवं दुर्ग

7 जगदलपुर, कांकेर, रायपुर एवं राजनांदगाँव

8 मोटरसाइकिल/मोपेड की संख्या X प्रति वाहन कर की दर (1,68,288 X ₹ 50) = ₹ 84,14,400 और अन्य वाहन की संख्या X प्रति वाहन कर की दर (38,700 X ₹ 200) = ₹ 77,40400 कुल आरोपणीय फीस : ₹ 1,61,54,400 एवं आरोपित फीस : ₹ 1,10,660 कम आरोपण : ₹ 1,60,43,740

5.11 यात्री यान एवं मालयान के स्वामियों से कर की अवसूली

छ.ग. मो.क. अधिनियम की धारा 3 एवं 5 अनुसार वाहन जो कि राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग हेतु रखे गये है पर प्रथम अनुसूची में उल्लेखित दर के अनुसार कर आरोपित किया जावेगा। यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिये कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किंतु रकम से अनाधिक ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार अधिरोपित की गई है। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान अधिकारी को चाहिए की मांग पत्र जारी करके राशि को भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करें। संदर्भित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी किसी निश्चित समयावधि के लिए अपने वाहन को आफ रोड रखना चाहता है तो उसे वह समयावधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारूप ट में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है।

सात[9] परिवहन कार्यालयों के माँग एवं वसूली पंजी की जाँच (जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012) में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 4,299 में से 443 मालयानों, नमूना जाँच किए गए 733 में से 152 मैक्सी केब एवं नमूना जाँच किए गए 1,424 में से 181 यात्रीयानों के स्वामियो ने वाहन कर ₹ 1.73 करोड़ (**परिशिष्ट 5.2 में दर्शित**) संदाय नहीं किया। इन वाहन के स्वामियों द्वारा आफ रोड़ घोषणापत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद परिवहन अधिकारियों ने इन डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए। इसके चलते ₹ 1.73 करोड़ का कर वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, असंदत रकम पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मई 2013) बैठक के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि ₹ 59.94 लाख की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

यद्यपि इसीप्रकार की अनियमितता 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में लेखा परीक्षा कंडिका क्र. 5.10.1 के में सम्मिलित की गई थी और विभाग ने मांग जारी की थी किन्तु विभाग में यही समान अनियमितता पुनः पाई जा रही है। इसलिए शासन को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण को मजबुत करे ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृती टाली जा सके।

[9] क्षे.प.का. अम्बिकापुर, जगदलपुर एवं रायपुर, अति क्षे प का दुर्ग एवं राजनांदगाँव, जि.प.का. कवर्धा एवं कोरबा